



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 माघ, 1944 (श०)

संख्या - 50 राँची, मंगलवार,

31 जनवरी, 2023 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

31 जनवरी, 2023/11 माघ, 1944 (शक)

संख्या-100/पूर्वअनु०-1/झार०-वि.स./1/2023--यतः झारखण्ड राज्य की विधान सभा में 23-रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्रीमती ममता देवी के विरुद्ध दोषसिद्धि एवं दंडादेश के परिणामस्वरूप लोक प्रतिनिधित्व नियम, 1951 की धारा-8 तथा संविधान के अनुच्छेद-191 (1)(इ) के प्रावधानों के तहत निरर्हित किये जाने के कारण दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 से स्थान रिक्त हो गया है; और

- यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उपनिर्वाचन कराया जाना है;
- अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150, 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) झारखण्ड राज्य से उक्त 23-रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तद्दीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 04 मार्च, 2023 (शनिवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख : 7 फरवरी, 2023 (मंगलवार)

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख : 8 फरवरी, 2023 (बुधवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख : 10 फरवरी, 2023 (शुक्रवार)

(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा : 27 फरवरी, 2023 (सोमवार)

(ङ.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा : 04 मार्च, 2023 (शनिवार)

नियत करता है; और

(इ) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 5:00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा ।

आदेश से,

राहुल शर्मा,

प्रधान सचिव

भारत निर्वाचन आयोग ।

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० रवि कुमार,

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION**31st January, 2023/ 11 Magha, 1944 (Saka)

No.100/ES-1/JKD-LA/1/2023--WHEREAS, the seat of Smt. Mamta Devi, in the Legislative Assembly of the State of Jharkhand, elected from 23-Ramgarh Assembly Constituency in the State, has become vacant on 13th December, 2022 by reason of her becoming subject to disqualification under Section 8 of the Representation of the People Act, 1951 and Article 191 (1) (इ) of the Constitution; and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) **calls upon** the said 23-Ramgarh Assembly Constituency in the State of Jharkhand, to elect, before 04th March, 2023 (Saturday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) **appoints**, with respect to the said election:-

- | | |
|---|---|
| a. the 7 th February, 2023 (Tuesday) | as the last date for making nominations; |
| b. the 8 th February, 2023 (Wednesday) | as the date for the scrutiny of nominations; |
| c. the 10 th February, 2023 (Friday) | as the last date for the withdrawal of candidatures; |
| d. the 27th February, 2023 (Monday) | as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and |
| e. the 4 th March, 2023 (Saturday) | as the date before which the election shall be completed; and |

(C) **Fixes the hours** from 7.00 A.M to 5.00 P.M as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

RAHUL SHARMA,
PRINCIPAL SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA.